

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मा वर्तमान विपक्षी च ५ ५६११
 पत्रावली संख्या ७१० सन् _____

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

१९/११/२१
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक २४/०३/२२ को पेश हो।

२४/३/२२
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक १३/५/२२ को पेश हो।

१३/५/२२
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
 में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक २/९/२२ को पेश हो।

२/९/२२
 वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो
 के लिये मौका चाहते है। अतः ५/११/२२
 भ्रमण दिया जाकर पत्रावली दिनांक ५/११/२२
 को पेश हो।

५/११/२२
 वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी उप./
 के लिये मौका चाहते है। अतः १३/१०/२२
 भ्रमण दिया जाकर पत्रावली दि. १३/१०/२२
 को पेश हो।

SDO मावली

१२/११/२२
 आज दिनांक की बार एरोसियेशन मावली
 नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।
 अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक....
१७/३/२३ को पेश हो।



17/9/23

आज दिनांक की बार एसोसियेशन माबली
ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक....
...05/05/23.....को पेश हो।

20/4/23

पत्रावली तलब की गई। "प्रशासन गांवों के संय
अभियान-2023" आयोजित किया जाने से पत्रावली
में अधिवक्ता पक्षकारानु को सूचित किया जाकर
पत्रावली कैम्प दासनीकली
दिनांक 4/5/23 को पेश हो।

4/5/23

पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई।
प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-
नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय
हाजा में दिनांक-28/7/23 को
पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

28/7/23

आज दिनांक की बार एसोसियेशन माबली
ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक....
...31/7/23.....को पेश हो।

31/7/23

पत्रावली वेग हुई। अचि. धार्मियां उप.।
उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल गाद सं. 16/20975
दिनांक 30/06/2023 को बिट्टो किया जा चुका है।
अतः मूल गाद बिट्टो होने से अब इस पत्रावली में
कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं रहनी है। अतः उक्त प्रकरण
को उसी स्तर पर ड्रॉप किया जाया है। पत्रावली
केसल-सुमार दोहर नम्बर से कम है।



सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली